



2026:AHC:19158

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट याचिका - बी संख्या - 1725/2023

राधेश्याम और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: राजेश यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., नंद लाल यादव, नेहल बेग

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. श्री राजेश यादव, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री नेहाल बेग, निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आवाहन उप निदेशक चकबंदी (संक्षेप में 'डीडीसी') द्वारा उ.प्र. चकबंदी जोत अधिनियम, 1953 (संक्षेप में 'यूपीसीएच अधिनियम') की धारा 48 के अंतर्गत पुनरीक्षण संख्या 553/2023 में दिनांक 01.04.2023 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए किया है, जिसके द्वारा समझौते के आधार पर चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 25.06.1998 को पारित आदेश खारिज किया गया था। रिट याचिका की लंबितता के दौरान याचिकाकर्ता और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 आपसी समझौते पर पहुँचे हैं और अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से न्यायालय के बाहर निपटारा कर लिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. दोनों पक्षकारों ने वर्तमान रिट याचिका को उसके आधार पर विनिश्चित करने के लिए समझौता आवेदन संख्या 9/2025 दायर किया है। समझौता आवेदन संख्या 9/2025 पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने दिनांक 17 दिसंबर, 2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"इन रि (संदर्भ में): सिविल प्रकीर्ण समझौता आवेदन संख्या 9/2025

1. वर्तमान समझौता आवेदन, समझौते की शर्तों सहित, याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 के संयुक्त शपथपत्र के साथ इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि रिट याचिका को पक्षकारों के बीच हुए समझौते की शर्तों पर निस्तारित किया जाए।

2. समझौता आवेदन को शपथपत्र और समझौते की शर्तों सहित प्रत्यर्थी संख्या 2/उप निदेशक चकबंदी, आजमगढ़ के समक्ष सत्यापन हेतु भेजा जाए।

3. पक्षकारों को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 6.1.2026 को प्रत्यर्थी संख्या 2/उप निदेशक चकबंदी के समक्ष उपस्थित हों।

4. प्रत्यर्थी संख्या 2/उप निदेशक चकबंदी, आजमगढ़ को निदेश दिया जाता है कि वे समझौते का सत्यापन करें और सत्यापन की तिथि से दस दिनों के भीतर अपनी आख्या इस न्यायालय को प्रेषित करें।

5. इस मामले को दिनांक 28.1.2026 की दैनिक मामला सूची में सूचीबद्ध किया जाए।"

4. दिनांक 17 दिसंबर, 2025 के आदेश के अनुसरण में विद्वान डीडीसी, जौनपुर, शिविर आजमगढ़ ने समझौते का सत्यापन किया और दिनांक 06.01.2026 की अपनी आख्या प्रस्तुत की जो नीचे पुनः उद्धृत की जाती है:

"प्रेषक,

उप संचालक चकबन्दी,

जौनपुर

कैम्प आजमगढ़।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सेवा में,

रजिस्ट्रार (सिविल सी०)

माननीय उच्च न्यायालय

इलाहाबाद।

संख्या:- 672/ न्यायालय लिपिक / सत्यापन-2025-26

दिनांक- 06.01.-26

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट बी संख्या 1725/2023 राधेश्याम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पक्षकारों द्वारा दायर संधि संख्या 9/2025 के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने कार्यालय पत्र संख्या **002669/ रिट-बी०/ए०एच०सी०/ इलाहाबाद** दिनांक **19.12.2025** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ मा० उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक **17.12.2025** व पक्षों द्वारा प्रस्तुत सन्धि पत्र दिनांक **18.08.2025** संलग्न करके मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सन्धि पत्र का सत्यापन करके सत्यापन आख्या दिनांक **28.01.2026** के पूर्व प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या **1725/2023** के पक्षकार आज दिनांक **06.01.2026** अपने-अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। पक्षों द्वारा अपनी पहचान हेतु अपने-अपने आधार कार्ड की छायाप्रति व शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा उनके अधिवक्तागण द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। उपस्थित पक्षों द्वारा मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सन्धि पत्र से सहमति व्यक्त की गयी। सन्धि पत्र के सत्यापन हेतु सन्धि पत्र के पृष्ठ संख्या 02 के पृष्ठ भाग पर उभयपक्षों की सहमति के हस्ताक्षर कराये गये तथा पक्षों के हस्ताक्षरों को उनके अधिवक्तागण द्वारा तस्दीक किया गया। सन्धि पत्र का सत्यापन स्वयं मेरे द्वारा करके सत्यापन आख्या सन्धि पत्र के पृष्ठ संख्या **02** के पृष्ठ भाग पर अंकित की गयी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



महोदय के पत्र के साथ प्राप्त सन्धि पत्र (13 किता) सत्यापन के उपरान्त मूल रूप में व पक्षों के अधिवक्तागण के वकालतनामे (2 किता) व पक्षों तथा सन्धि पत्र के गवाहों के आधार कार्डों की छायाप्रति (5 किता) तथा पक्षों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र संलग्न कर सत्यापन आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(रामकिशोर)

उप संचालक चक्रवर्ती,

जौनपुर

कैम्प आजमगढ़"

5. विद्वान डीडीसी ने यह अवलोकित किया है कि दोनों पक्षकार अपने-अपने अधिवक्ताओं सहित उपस्थित हुए और दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षरों को उनके संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा अभिनिर्धारित किया गया।

6. यह प्रस्तुत किया गया है कि दोनों पक्षकार बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझौते पर पहुँचे हैं। उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए हैं और अब शांतिपूर्वक रह रहे हैं। दोनों पक्षकार समझौता आवेदन में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

7. निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों से सहमति व्यक्त की और यह प्रतिवादित किया कि वर्तमान रिट याचिका को समझौते की नियमों और शर्तों पर विनिश्चित किया जाए।

8. उपरोक्त परिप्रेक्षा में, वर्तमान रिट याचिका समझौता आवेदन संख्या 9/2025 की नियमों और शर्तों पर अनुज्ञात की जाती है, जो दिनांक के आदेश का भाग बनेंगी। डीडीसी द्वारा पुनरीक्षण संख्या 553/2023 (अच्छेलाल बनाम राधेश्याम) में यूपीसीएच अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 को पारित आदेश एतद्वारा खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28 जनवरी, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।